

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक ...B/6672.../

जबलपुर, दिनांक 14/09/2023

श्रीमती प्रीति गाडे, ए.ओ. (जे), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को म.प्र. सिविल सेवा अवकाश नियम 13 (ii) के अनुसार आवेदन पत्र पर विचार करते हुए दिनांक 05.06.23 से 09.06.23 तक 5 दिन का अर्जित अवकाश इस निर्देश के साथ स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में आवेदन पत्र समयावधि में प्रस्तुत करें। स्वीकृत अर्जित अवकाश पश्चात् 147 दिन अर्जित अवकाश की पात्रता शेष है।

माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय
के आदेशानुसार

सही/-

(हेमन्त जोशी)


प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक)

पृष्ठांकन क्रमांक...B/6673.../

जबलपुर, दिनांक 14/09/2023

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्रीमती प्रीति गाडे, ए.ओ. (जे), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(मोहित दीवान) 11/9/23
रजिस्ट्रार (न्यायिक-एक)